

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण-2017 की धारा-12 एवं धारा-13 में दिये गये प्राविधानानुसार प्राप्त विकल्प एवं अनुरोध का विवरण।

4-वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (अवरोही क्रम में)

1- सुगम से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र अधिकारी-09

क्र०सं०	नाम सर्वश्री	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती स्थल	सुगम क्षेत्र में वर्तमान तैनाती की अवधि	सुगम क्षेत्र में तैनाती की कुल अवधि	विकल्प			अनुरोध	अभ्युक्ति	
1	मोहन लाल	देहरादून	हरिद्वार	09 वर्ष 09 माह 28 दिन	28 वर्ष 02 माह 04 दिन	1	टिहरी	6	पिथौरागढ़		दिनांक 06-03-2021 से अध्यक्ष हरिद्वार जनपद उत्तराखण्ड परिवहन मिनिस्ट्रीयल कर्मचारी संघ।
						2	पौड़ी	7	बागेश्वर		
						3	उत्तरकाशी	8	कर्णप्रयाग		
						4	अल्मोड़ा	9	रानीखेत		
						5	रुद्रप्रयाग	10	-		
2	सईद अहमद	हरिद्वार	रुड़की	01 वर्ष 05 माह 27 दिन	26 वर्ष 07 माह 11 दिन	1	-	6	-	इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि उनका पुत्र सईद अहमद हरिद्वार कार्यालय में कार्यरत है। वे 70 वर्षीय वृद्ध हैं और कई वर्षों से बीमार होने से बेड पर हैं न स्वयं उठ सकती हैं न बैठ सकती हैं। (मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न)। उनके पति भी बीमार हैं जिनका इलाज हरिद्वार में चल रहा है। उनके तथा उनके पति की देखभाल उनके पुत्र द्वारा ही की जाती है। उनके पुत्र सईद अहमद को स्पाईन कोड टेढ़ी हो जाने के कारण परेशान हैं। वे थायारायड से भी ग्रसित हैं। उनके पुत्र को चढ़ाई चढ़ने पर सांस फूलने आदि की गंभीर समस्या होती है। (मेडिकल बोर्ड की प्रति संलग्न)। उनके द्वारा उनके पुत्र को स्थानान्तरण में छूट प्रदान किये जाने का अनुरोध	
						2	-	7	-		
						3	-	8	-		
						4	-	9	-		
						5	-	10	-		

(Handwritten signatures and marks)

3	लक्ष्मी कश्यप	कानपुर, उत्तर प्रदेश	हल्द्वानी	05 वर्ष 11 माह 25 दिन	25 वर्ष 08 माह	1	—	6	—	किया गया है।	अधिनियम की धारा-13 (6)
						2	—	7	—	इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि उनका नाम पात्र कार्मिकों की सूची में क्रमांक-03 पर अंकित है। स्थानांतरण अधिनियम के विन्दु संख्या-13(6) में उल्लिखित कार्मिक स्थानांतरण हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे। उनके पति की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण उनकी नियुक्ति दिनांक 01-10-1996 में मृत आश्रित कोटे में हुई है। प्रार्थिनी के पिताजी जो कि काफी वृद्ध हैं उन्हीं के साथ रहते हैं जिन्हें समय-समय पर परीक्षण हेतु ले जाना पड़ता है। उनके स्थानांतरण से मुक्त रखे जाने का अनुरोध किया गया है।	
						3	—	8	—		
						4	—	9	—		
						5	—	10	—		
4	मंगनी हयांकी	पिथौरागढ़	रामनगर	05 वर्ष 06 माह 01 दिन	25 वर्ष 06 माह 12 दिन	1	रामनगर	6	—	इनके द्वारा अवगत कराया गया है वे 30-11-16 से रामनगर कार्यालय में तैनात हैं तथा स्पोन्डिलाइटिस, जोड़ों के दर्द, कमर दर्द एवं अन्य बीमारियों से भी ग्रस्त हैं। उनके द्वारा मण्डलीय चिकित्सा परिषद, नैनीताल का प्रमाण पत्र संलग्न करते हुये स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 3 के उपखण्ड (घ) के प्राविधानों के अंतर्गत स्थानांतरण से छूट प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।	
						2	—	7	—		
						3	—	8	—		
						4	—	9	—		
						5	—	10	—		
5	मुकुल ममगाई	देहरादून	देहरादून	20 वर्ष 01 माह 21 दिन	20 वर्ष 01 माह 21 दिन	1	टिहरी	6	—		
						2	उत्तरकाशी	7	—		
						3	पौड़ी	8	—		
						4	चमोली	9	—		
						5	रुद्रप्रयाग	10	—		
6	उपदेश मझखोला	पौड़ी	विकासनगर	08 वर्ष 05 माह 24 दिन	19 वर्ष 02 माह 23 दिन	1	टिहरी	6	—		
						2	पौड़ी	7	—		
						3	उत्तरकाशी	8	—		
						4	कर्णप्रयाग	9	—		
						5	रुद्रप्रयाग	10	—		
7	मनोज नेगी	टिहरी	कोडिया	05 वर्ष 05 माह 21 दिन	17 वर्ष 07 दिन	1	टिहरी	6	पौड़ी		
						2	उत्तरकाशी	7	—		
						3	ऋषिकेश	8	—		
						4	कर्णप्रयाग	9	—		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

8	रूपेश गढ़वाली	पौड़ी	भगवानपुर	05 वर्ष 11 माह 22 दिन	15 वर्ष 09 माह 23 दिन	5	रुद्रप्रयाग	10	-		
						1	टिहरी	6	हल्द्वानी		
						2	उत्तरकाशी	7	काशीपुर		
						3	रुद्रप्रयाग	8	विकासनगर		
						4	कर्णप्रयाग	9	ऋषिकेश		
5	पौड़ी	10	रूड़की								
9	हरीश चन्द्र भद्री	देहरादून	उधमसिंहनगर	09 वर्ष 08 माह 29 दिन	14 वर्ष 13 दिन	1	देहरादून	6	टिहरी		
						2	ऋषिकेश	7	काशीपुर		
						3	विकासनगर	8	रामनगर		
						4	हरिद्वार	9	-		
						5	रूड़की	10	-		

दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (अवरोही क्रम में)

1- दुर्गम से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र अधिकारी- 02

क्र०सं०	नाम सर्वश्री	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती स्थल	दुर्गम क्षेत्र में वर्तमान तैनाती की अवधि	दुर्गम क्षेत्र में तैनाती की कुल अवधि	विकल्प	अनुरोध	अभ्युक्ति			
1	यतिन तिवारी	नैनीताल	बागेश्वर	11 वर्ष 10 माह 19 दिन	11 वर्ष 10 माह 19 दिन	1	हल्द्वानी	6	-		
						2	उधमसिंहनगर	7	-		
						3	रामनगर	8	-		
						4	काशीपुर	9	-		
						5		10	-		
2	सुरेन्द्र सिंह नेगी	देहरादून	कर्णप्रयाग	03 वर्ष 10 माह 11 दिन	05 वर्ष 04 माह 17 दिन	1	देहरादून	6	-	इनके द्वारा अवगत कराया गया है वे वरिष्ठ कार्मिक हैं। उनकी सेवानिवृत्ति में 02 वर्ष शेष हैं। उनके दुर्गम कार्यालय की अवधि भी पूर्ण हो गई है। वर्ष 2010 में उनका पथरी का ऑपरेशन हुआ जिसमें गॉलब्लेडर को निकाला गया। पाचन सम्बन्धी परेशानी, दुर्गम क्षेत्र में सही खान पान न होने के कारण उनके शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। जिससे उनका स्वास्थ्य खराब रहता है। उनके द्वारा उनका स्थानान्तरण जनपद देहरादून अथवा समीपस्थ कार्यालय में किये जाने का अनुरोध किया गया है।	55 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ कार्मिक
						2	रूड़की	7	-		
						3	विकासनगर	8	-		
						4	कोटद्वार	9	-		
						5	टिहरी	10	-		

(Signature)

(Signature)

(Signature)

पात्रता सूची में न आने वाले वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के अनुरोध का विवरण:-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती स्थल	वर्तमान स्थल पर तैनाती की अवधि	अनुरोध	अभ्युक्ति
1	सुरेश चन्द्र बछेटी	पौड़ी	कुल्हाल चैकपोस्ट	05 वर्ष 06 माह 03 दिन	इनके द्वारा अपने पत्र दिनांक 05-01-2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके पति वर्तमान में मूल रूप से परिवहन कर संग्रह केन्द्र, कुल्हाल में कार्यरत हैं। वे विगत कई वर्षों से हृदय एवं मधुमेह रोग से पीड़ित हैं। दिनांक 24-10-2017 को उनके पति का स्वास्थ्य अत्यधिक खराब होने के कारण उनकी चिकित्सा मेट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट, नोयडा से करायी गयी है। चिकित्सकों द्वारा उनके पति को आजीवन अनुभवी चिकित्सकों द्वारा परीक्षण कराये जाने की हिदायत दी गयी है। उनके द्वारा उनके पति की स्वास्थ्य परिस्थितियों एवं मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर उनके पति का स्थानान्तरण संभागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून में किये जाने का अनुरोध किया गया है।	55 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ कार्मिक
2	कृपाल दत्त जोशी	बागेश्वर	देहरादून	06 वर्ष 06 माह 25 दिन	उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि वे वरिष्ठ कार्मिक हैं तथा दिनांक 30-04-2023 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-13 की उपधारा-6 के अंतर्गत वरिष्ठ कार्मिकों के अनुरोध के आधार पर ऐच्छिक स्थानान्तरण की व्यवस्था दी गई है। उनके द्वारा संभागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।	55 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ कार्मिक
3	संजीव कुमार मिश्रा	देहरादून	हरिद्वार	09 वर्ष 10 माह	इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि हरिद्वार कार्यालय में उनकी तैनाती को लगभग 10 वर्ष हो रहे हैं। उनका परिवार देहरादून में निवास कर रहा	55 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ कार्मिक

[Signature]

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*

[Signature]

					<p>है। उनकी आयु 57 वर्ष पूर्ण होने जा रही है। उनकी सेवानिवृत्ति में लगभग 03 वर्ष का समय शेष है। उनके द्वारा पारिवारिक दायित्वों को पूर्ण करने के उद्देश्य से संभागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Sh...

Sheeti Sh... Sen P...